कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय वैढन

जिला –सिंगरौली (म0प्र0) 486886
email – govtpolywdn034@gmail.com

क्रमांक / शापोमबै / स्था0 / 755 / 2024 वैढन दिनांक 29/07/24

विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक / 3 / स्था / डी / 2024 / 939, भोपाल 18.07.2024 एवं प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2024 को याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी0.7275 / 2019, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के परिपालन में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिब्यांगजनों के चिन्हांकित आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति "बॉक–इन–इन्टरब्यू" के माध्यम से की जाना है । इस हेतु अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक **20.08.2024** तक कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 से 5.30 सांयकाल तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। आवेदन पत्र **"प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली पिन नं. 486886,"** के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कार्यालय में सीधे आकर प्रेषित किये जावें । डाक से विलम्ब के लिये संस्था उत्तरदायी नहीं होगी । रिक्त पद का विवरण, वेतनमान, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी निम्नलिखित है :–

क्र0	पदनाम / वेतनमान	पद की संख्या	दिब्यांगजनों के विकलांगता की श्रेणी	निर्धारित योग्यता
			बहरे और कम सुनने वाले	
01	**कुशल सहायक (फिटर)** {**वेतनमान** : 5200–20200, ग्रेड वेतन 1900, एवं सातवे वेतनमान में लेविल (4), (वेतनमान 19500–62000}	1	1	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मण्डल से मैकेनिकल / प्रोडक्शन / मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग शाखा में पत्रोपाधि **अथवा** फिटर व्यवसाय (ट्रेड) में आई.टी.आई. से एन.सी.व्ही.टी. का प्रमाण पत्र के साथ संबंधित व्यवसाय में एक वर्ष का कार्य अनुभव ।

उपरोक्त तृतीय श्रेणी कुशल सहायक (फिटर) के लिये वॉक–इन–इन्टरव्यू (साक्षात्कार) के लिये दिनांक **28.08.2024** को समय प्रातः 10:30 बजे निर्धारित है । उम्मीदवार अधिक होने की स्थिति में वॉक–इन–इन्टरव्यू अगले दिन भी किया जावेगा । नियत तिथि एवं समय के वाद उपस्थित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने पर विचार नहीं किया जावेगा । वॉक–इन–इटरव्यू के लिये स्थान ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट कक्ष शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली होगा ।

विशेष भर्ती अभियान से संबंधित विविध जानकारी निम्नानुसार है :–

1. निःशक्तजानों की परिभाषा हेतु समय–समय पर जारी शासन निर्देशों के अनुरूप होगी ।
2. उपरोक्त पद हेतु आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है ।

||2||

3. उपरोक्त पद हेतु आवेदक का संबंधित जिले के शासकीय जिला जिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा । एवं "अधीक्षक, विकलांक व्यावसायिक पूनर्वास केंन्द्र नेपियर टाउन, जबलपुर से **विकलांगता सह उपयुक्तता प्रमाण** पत्र जारी करवाना होगा ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3–11/12/1/3, भोपाल दिनांक 03 नबम्बर 2012 के अनुसार दिनांक **01.01.2024** की स्थिति में अवेदक की आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष एवं न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है ।
5. आवेदक का मध्य प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–8–3/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार दिब्यांगजन की निःशक्तता का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडीकल बोर्ड से कराया जावेगा । जॉच में निशक्तता का प्रतिशत 40% या अधिक निःशक्तता पायी जाती है । तभी उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी ।
7. पूर्व में सेवारत कर्मचारी/विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपने नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करेंगे ।
8. साक्षात्कार के समय आवेदक को अपने सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी ।
9. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजीटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
11. जिस आवेदक के दो से अधिक संतान है व उनमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तो ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
12. नियुक्ति से संबंधित सभी **अधिकार** प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली के पास सुरक्षित होंगे ।
13. समस्त प्रमाण–पत्रों की प्रतियां स्वप्रमाणित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है ।
14. आवेदक द्वारा समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों के 02 सेट साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगें । प्रमाण–पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
15. पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम रंगीन फोटो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे ।
16. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट), दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से दिये गये निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी । इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय–समय पर जारी किये गये नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली द्वारा की जावेगी ।

17. यह कि पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण–पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के मेडीकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिब्यांगजनों के लिये आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा ।
18. दिब्यांगजानों के लिये आरक्षित पदो के विरूद्ध होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडीकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगें ।
19. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे । अभिलेखों को कूटरचित किया हो, या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिये जाऐंगे । ऐसे अगले प्रस्तुत दिये गये हो जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिये आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिये जाऐंगे ।
20. यह कि आवेदन–पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल निवासी, जन्म तिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) आदि से संबंधित प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जायें ।
21. पदों की शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं आयु से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली की वेबसाईट **www.polywaidhan.in** से डाउनलोड किया जा सकता है ।
22. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक सी, 3–13/2019/3/एक,भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षावधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा ।
23. चयनित उम्मीदवारों पर मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक/428/भोपाल दिनांक 21 अक्टूबर 2015, तृतीय श्रेणी अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम 2015 की शर्ते लागू होगी ।
24. सीधीभर्ती/बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 के अन्तर्गत नियुक्त होंगे ।
25. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सेनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बैढ़न
जिला सिंगरौली म0प्र0

//दिव्यांगजन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप //

प्रति
प्राचार्य,
शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,
बैढ़न जिला सिंगरौली (म0प्र0) 486886.

नवीनतम रंगीन फोटो

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक का पूरा नाम ....
3. पिता/पति का नाम उप नाम सहित ....
4. जन्म तिथि अंको में (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
5. दिनांक **01.01.2024** की स्थिति में आयु वर्ष..............माह..............दिन...............
6. आधार कार्ड नम्बर ....
7. पेन कार्ड नम्बर ....
8. वर्तमान निवास का पता ....
   (पिनकोड/मोवाईल नं. सहित) . ...
   ....
9. स्थाई निवास का पूर्ण पता ....
   (पिनकोड/मोवाईल नं. सहित) ... .
   ....
10. जाति एवं उपजाति ....
    (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति सलग्न करें)
11. निःशक्तता का प्रकार ....
    (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
12. जिला रोजगार कार्यालय का नाम व पता ....
    एवं जीवित पंजीयन कमांक व दिनांक ....
    ....
13. यदि आवेदक विवाहित है, तो विवाह की तारीख ....
14. जीवित संतानों का विवरण :–

क0	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1			

2			
3			

15. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें) :–

क0	उत्तीर्ण परीक्षा नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक / प्राप्तांक	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							
4							
5							
6							

16. अतिरिक्त विशेष तकनीकी योग्यता /अनुभव :– ....
(प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां एवं अतिरिक्त जानकारी /अनुभव पृथक से संलग्न करें)

17. संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियों की सूची :–

01. ....
02. ....
03. ....
04. ....
05. ....
06. ....

स्थान ....
दिनांक .... आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

/ / घोषण–पत्र / /

मै.. घोषणा करता / करती हूँ कि मेने द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है । मैने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है । मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्ववारा असत्य या भ्रामक जानकारी पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है ।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता